# नवीन शासकीय महाविद्यालय बरमकेला

बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर से सम्बद्ध
(शासकीय महाविद्यालय)

विद्या ददाति विनयम्

## विवरण पुस्तिका

सत्र -

₹100

# नवीन शासकीय महाविद्यालय
## बरमकेला

### महत्वपूर्ण टीप

- इस पुस्तिका में प्रवेश आवेदन-पत्र संलग्न है।
- आचार संहिता का अनिवार्य रूप से छात्र-छात्राएं पालन करें।
- विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की जानकारी सूचना-पटल पर लगा दी जावेगी।
- विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु जारी चयन सूची की जानकारी सूचना पटल से प्राप्त करने की जिम्मेदारी छात्र की होगी।
- प्रवेश शुल्क निर्धारित तिथि तक ही कार्यालय में जमा कर प्रवेश लेना अनिवार्य है।
- अलग-अलग विषय समूह के लिये अलग-अलग आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के परिपेक्ष्य में प्रवेश नियमों में परिवर्तन, संशोधन, परिवर्धन किया जावेगा।

प्राचार्य

# नवीन शासकीय महाविद्यालय बरमकेला


| विवरण | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|
| 1. प्रवेशार्थियों के.लिए आवश्यक निर्देश | |
| 2. प्राचार्य की कलम से | |
| अनुक्रमणिका- | |
| **भाग एक** | |
| नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ | 1 |
| विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता | 1 |
| प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांत | 2 |
| **भाग दो** | |
| पाठ्यक्रम योजना | 11 |
| महाविद्यालय में विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित स्थान | 13 |
| शुल्क संबंधी विवरण | 14 |
| **भाग तीन** | |
| छात्रवृत्तियां | 17 |
| परिचय पत्र | 18 |
| स्वास्थ्य परीक्षण | 18 |
| **भाग चार** | |
| महाविद्यालय प्रदत्त अन्य विशिष्ट सुविधाएं एवं कार्यक्रम | 19 |
| रैगिंग विरोधी प्रकोष्ठ | 21 |
| अनुशासन व्यवस्था एवं प्रोक्टोरियल बोर्ड | 21 |
| **विभिन्न आवेदन पत्र** | |
| प्रवेश हेतु आवेदन पत्र | |
| राष्ट्रीय केडेट कोर सीनियर डिवीजन भर्ती फार्म | |
| राष्ट्रीय सेवा योजना | |
| रेड क्रास | |
| लायब्रेरी कार्ड | |

# भाग 1

## नवीन शिक्षण सत्र का आरंभ

नवीन शिक्षण सत्र 2016-17 दिनांक 15 जून 2016 से प्रारंभ होगा।

## छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता

### सामान्य नियम

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरश: पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्योत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली गलौच या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूंकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है।

### अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी, अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
3. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
4. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालयों में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का तोड़ फोड़ करना दण्डत्मक आचरण माना जायेगा।

### परीक्षा संबंधी नियम

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सालय से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जावेगा।

## महाविद्यालय का अधिकार क्षेत्र

1. यदि छात्र किसी अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा।

2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जावेगा।

4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख होगा।

## (क) प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांत

### 1. प्रयुक्ति

ये मार्गदर्शक सिद्धांत, छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय अधिनियम,1973 के तहत अध्यादेश क्र. 6 व 7 के प्रावधानों के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

### 2. प्रवेश की तिथि-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना-

महाविद्यालय में प्रवेश के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किए जावेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावेंगे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना-

स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन, जो भी पहले हो, मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के दौरान प्रवेश दिया जावे किन्तु कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

2.3 **पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना-**

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुर्नमूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित महाविद्यालय के कुलपति के पश्चात गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश की पात्रता दी जायेगी।

2.4 **स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए-**

पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को भी स्थान रिक्त होने पर गुणानुक्रम के आधार पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निर्धारित तिथि तक प्रवेश की पात्रता होगी। अन्य कक्षाओं में 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं सक्षम तथा 14 अगस्त से कुलपति की अनुमति से अस्थायी प्रवेश देने हेतु सक्षम होंगे तथा नियमित प्रवेश के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि होने की तिथि से 15 दिन जो भी पहले मान्य होगी।

## 3. प्रवेश सूची

3.1 प्राचार्य द्वारा शुल्क जमा करने की निर्धारित तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तां[illegible] गुणानुक्रम सूची प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

3.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों की मूल प्रमाण पत्रों से मिलान से प्रमाणित किया जाय एवं जहां आवश्यक हो स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी।

3.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जावे।

3.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा। तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।

## 4. प्रवेश की पात्रता :

4.1 **निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :**

(क) छत्तीसगढ़ के मूल / स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में हो उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जावेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के

पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और महाविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

**4.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :**

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

10+2 परीक्षा का तात्पर्य छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित या सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के विद्यालयों की इंटरमीडिएट बोर्ड के समकक्ष परीक्षा से है।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

**5.2 स्नातकोत्तर स्तर पर नियमित प्रवेश :**

(क) बी.कॉम/बी.ए./बी.एस.सी. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण को क्रमशः एम.ए. एवं प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन/सी.बी.एस.ई. तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षायें माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध महाविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित महाविद्यालय जो भारतीय महाविद्यालय संघ एसोसियेशन ऑफइंडियन युनिवर्सिटीज के सदस्य हैं उनकी समस्त परीक्षायें छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय जैसे बी.ए./बी.कॉम. डायरेक्ट बन सिटिंग परीक्षायें मान्य नहीं है।

6.3 सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं महाविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन महाविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाओं जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध महाविद्यालय से प्राप्त करें।

## 7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश

7.1 स्नातक स्तर पर बी.ए./बी.कॉम में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्व विद्यालय स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशायी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूह में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जायेगा। आवश्यक हो तो विश्व विद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से स्नाकोत्तर स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही उन्हीं विषय/विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रयोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक निर्धारित शुल्क लेकर प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

## 8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता :

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा कम्पार्टमेंट प्राप्त आवेदकों को अगली परीक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 उपरोक्त कंडिका 7 के खंड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थाई प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.3 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा।

## 9. प्रवेश हेतु अर्हतायें :

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में एक बार नियमित प्रवेश लेकर परीक्षा में सम्मिलित न होने/अध्ययन छोड देने अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में

आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिसमें प्रमाणित हो कि पूर्व में उनसे प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो और/ न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहें हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्वव्यवहार/मारपीट करने में गंभीर आरोप हो/ चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3(क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी।

(ख) आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययंन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडे वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदको के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी।

9.4 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.5 किसी संकाय में स्नातक की उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को अन्य संकायों को स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

## 10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश नियमानुसार गुणानुक्रम से किया जावेगा।

(ख) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा -

## 11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु प्राथमिकता के आधार पर, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का क्रम नियमानुसार होगा- उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी, एक विषय में पूरक सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्र।

11.3 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय समूह के अध्यापन की सुविधा उपलब्ध होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे। आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जायेगा।

## 12. आरक्षण

<u>छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगी-</u>

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के क्रमश: 15 तथा 18 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय हैं।

12.2 पिछड़ वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिए 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों एवं उनके पुत्र/पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्ताकों का दस प्रतिशत अंको का अधिभार देकर दोनों वर्गों को सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाये।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30% स्थान महिला छात्राओं के लिए आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा 1/2 प्रतिशत एवं 1% के बीच आने पर आरक्षित सीट की संख्या एक होगी।

12.6 प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिए पर्याप्त छात्र/छात्रायें उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

12.7 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

## 13. अधिभार =-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदाय किया जायेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात, बाद में लाये जाने/ जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस. स्काउट्स

(स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाईड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जाये)

(क) एन.एस.एस/एन.सी.सी 'ए' सर्टीफिकेट 02%

(ख) एन.एस.एस./एन.एन.सी 'बी' सर्टीफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स 03%

(ग) 'सी' सर्टीफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स 04%

(घ) राज्य स्तरीय संचालनालीय एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को 04%

(ड) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.सी कन्टिजेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को 05%

(च) राज्यपाल स्काउट्स 10%

(छ) राष्ट्रपति स्काउट्स 10%

(ज) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट 10%

(झ) ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट 15%

(त) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अंतर्राष्ट्रीय जम्हूरी के लिए चयनित करने वाले विद्यार्थी को 10%

<u>13.4 खेलकूद/साहित्यिक सांस्कृतिक/क्विज/ रूपांकन प्रतियोगितायें</u>

/1/ लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ राज्य उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में।

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 20%

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04%

/2/ उपर्युक्त कंडिका 13.4(1) में उल्लेखित विभाग केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतरक्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के सदस्य को 06%

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07%

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05%

/3/ भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्यमंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15%

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान अर्जित करने वाले टीम के सदस्य को 12%

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10%

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ अथवा साइंस एवं कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/ सांस्कृतिक/साहित्यिक/ कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10%

13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में

(क) जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01%

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्य को 12%

13.6 जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01%

<u>विशेष प्रोत्साहन</u> 01%

एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ केडेट्स तथा ओलिम्याड/एशियाड स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफइंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाये जिनकी उन्हें पात्रता है।

## बशर्ते कि :

1. इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं
2. यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थीयों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है। परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिकार हेतु मान्य होंगे।

<u>14. संकाय /विषय/ग्रुप परिवर्तन-</u>

(क) स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5% घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा. अधिभार घटे हुए प्राप्तांकों पर देय होगा।

(ख) महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमती महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15. विशेष-

16.1 जाली प्रमाण पत्रों गलत जानकारी, जानबूझकर छिपांये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगतार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

16.5 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार संचालक, उच्च शिक्षा को ही है इन मार्गदर्शन सिद्धांतों में समय समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरस्त/संलग्न करने का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को होगा।

संचालक

उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़, रायपुर

# भाग-2

## महाविद्यालय में निम्नांकित पाठ्यक्रमों/विषयों के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था सुलभ है :-

### कला संकाय

/अ/ स्नातक स्तर :

(1) बी. ए. प्रथम वर्ष-

अनिवार्य विषय- हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा एवं पर्यावरण अध्ययन।

वैकल्पिक विषय- निम्नलिखित में से कोई तीन विषयों का चयन करें : राजनीति शास्त्र, हिन्दी साहित्य, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल

(2) बी.ए. द्वितीय वर्ष- एकीकृत पाठ्यक्रमानुसार।

### वाणिज्य संकाय

/अ/ स्नातक स्तर-

(1) बी. कॉम. प्रथम वर्ष :

अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम हिन्दी, अंग्रेजी भाषा एवं पर्यावरण अध्ययन

वैकल्पिक विषय-

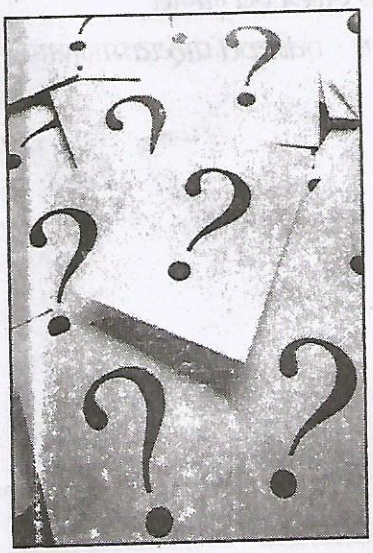

ग्रुप एक - (1) वित्तीय लेखांकन
(2) व्यावसायिक गणित

ग्रुप दो- (1) व्यावसायिक संचार
(2) व्यावसायिक नियमन संरचना

ग्रुप तीन- (1) व्यावसायिक वातावरण
(2) व्यावसायिक अर्थशास्त्र

(2) बी.कॉम. द्वितीय वर्ष-

अनिवार्य विषय-

आधार पाठ्यक्रम हिन्दी, अंग्रेजी भाषा।

वैकल्पिक विषय-

ग्रुप एक- (1) निगमित लेखांकन
(2) लागत लेखांकन

ग्रुप दो- (1) व्यावसाय प्रबंध के सिद्धांत
(2) कम्पनी अधिनियम

ग्रुप तीन- (1) व्यावसायिक सांख्यिकी

(2) उद्यमिता के मूलाधार

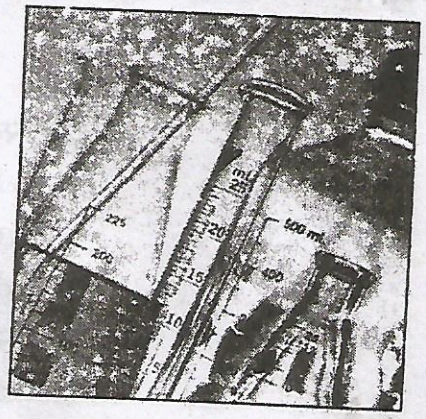

## विज्ञान संकाय

/अ/ स्नातक स्तर-

(1) बी. एस. सी. प्रथम वर्ष :

अनिवार्य विषय- आधार पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा एवं पर्यावरण

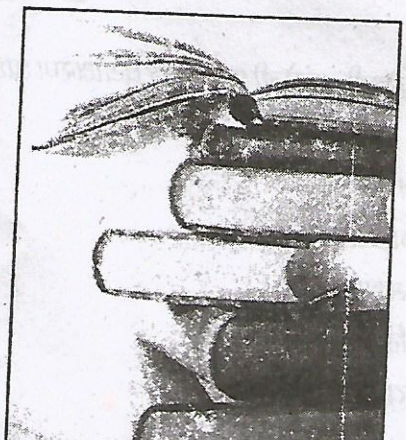

वैकल्पिक विषय-

ग्रुप एक- रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र

ग्रुप दो- रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र एवं गणित

(2) बी. एस. सी. द्वितीय वर्ष : एकीकृत पाठ्यक्रमानुसार

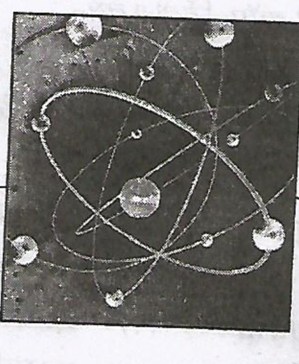

## महाविद्यालय में विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित स्थान :

# विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु निर्धारित स्थान

*नियमित पाठ्यक्रम (विश्वविद्यालय से संबद्ध) :*

| क्र. | पाठ्यक्रम का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| 1. | बी.ए. भाग प्रथम एवं द्वितीय | 60 |
| 2. | बी. कॉम. भाग प्रथम एवं द्वितीय | 60 |
| 3. | बी. एस. सी प्रथम एवं द्वितीय | 60 |

# नवीन शासकीय महाविद्यालय बरमकेला

## प्रवेश शुल्क 2016–17

| मद | B.A.I | B.A. II/III | B.Sc. I | B.Sc. II/III | B.Com. I | B.Com. II/III | M.A. Pre. | M.A. Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **अशासकीय शुल्क सम्मिलित निधि लेखा** | | | | | | | | |
| छात्र संघ प्रवेश शुल्क | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| स्नेह सम्मेलन शुल्क | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| महाविद्यालय विकास निधि शुल्क | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| सम्मिलित निधि शुल्क | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| कामन रूम शुल्क | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| शारीरिक कल्याण शुल्क | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| युवा गतिविधि शुल्क | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| प्रायोगिक शुल्क | — | — | 30.00 | 30.00 | — | — | — | — |
| योग :– | 320.00 | 320.00 | 350.00 | 350.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
| **अशासकीय शुल्क ई.डी. लेखा** | | | | | | | | |
| निर्धन छात्र कल्याण निधि | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| चिकित्सा शुल्क | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| परिचय पत्र शुल्क | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| सायकल स्टैण्ड शुल्क | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| छात्र सुरक्षा बीमा शुल्क | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| रेडक्रास शुल्क | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| सुरक्षा निधि शुल्क | 60.00 | — | 60.00 | — | 60.00 | — | 60.00 | — |
| वि.वि. ग्रंथालय शुल्क | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| वि.वि. नामांकन शुल्क | 100.00 | — | 100.00 | — | 100.00 | — | — | — |
| वि.वि. छात्र कल्याण शुल्क | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| वि.वि. छात्र संघ शुल्क | 02.00 | 02.00 | 02.00 | 02.00 | 02.00 | 02.00 | 02.00 | 02.00 |
| योग:– | 344.00 | 184.00 | 344.00 | 184.00 | 344.00 | 184.00 | 239.00 | 159.00 |
| **शासकीय लेखा** | | | | | | | | |
| शिक्षण शुल्क | 115.00 | 115.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 126.00 | 126.00 |
| प्रवेश शुल्क | 03.00 | 03.00 | 03.00 | 03.00 | 03.00 | 03.00 | 03.00 | 03.00 |
| स्टेशनरी शुल्क | 02.00 | 02.00 | 02.00 | 02.00 | 02.00 | 02.00 | 02.00 | 02.00 |
| योग :– | 120.00 | 120.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 131.00 | 131.00 |
| (पी.डी.+ई.डी.+शासकीय लेखा) योग :– | 784.00 | 624.00 | 834.00 | 674.00 | 804.00 | 644.00 | 690.00 | 610.00 |

प्राचार्य

## शुल्क संबंधी नियम :-

(1) शुल्क अधिकृत लिपिक के पास तथा निर्धारित स्थान पर ही जमा करें एवं उसी समय रसीद प्राप्त करें।

(2) शुल्क की राशि परिवर्तनीय है। परिवर्तन संबंधी सभी नियम अनिवार्य रूप से मान्य होंगे।

(3) घोषित तिथियों में शुल्क जमा करना होगा।

(4) एक बार प्रविष्ट होने पर पुन: काशनमनी जमा करना आवश्यक नहीं है।

(5) समस्त शुल्क आवश्यक रूप से छात्र / छात्रा द्वारा भरा जाना चाहिए। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही प्राचार्य की पूर्व अनुमति से यह किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा भरा जाना संभव होगा।

(6) एक बार शुल्क जमा होने पर केवल काशनमनी की राशि ही वापस की जा सकेगी।

## काशनमनी प्राप्त करने के नियम:-

(1) छात्र / छात्रा के महाविद्यालय छोड़ने के प्रमाण -पत्र प्राप्त करने के बाद ही काशनमनी दी जायेगी। अत: काशनमनी की अर्जी देने के पूर्व महाविद्यालय स्थानांतरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

(2) काशनमनी निकालने के लिए आवेदन पूर्ण रूप से भरकर कम से कम 20 दिन पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा।

(3) काशनमनी प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र के साथ रसीद मूलत: संलग्न करना अनिवार्य है.

(4) साधरणतया मूल रसीद के बिना काशनमनी का भुगतान नही किया जायेगा, किन्तु विशेष परिस्थितियों में प्राचार्य द्वारा विचार किया जा सकता है।

ऐसे छात्र/छात्राओं को अपने पत्र में ऐसे कारण का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना होगा। छात्र / छात्रा अपने आवेदन पत्र में निम्न बातों का उल्लेख करें।

(अ) महाविद्यालय में भरती होने तथा छोड़ने का वर्ष

(ब) रसीद नंबर तथा दिनांक तथा उसकी राशि

ऐसे आवेदन पत्रों की पूरी तरह जांच कार्यालय द्वारा की जावेगी, सभी बातें सही पाये जाने पर काशनमनी की रकम का भुगतान छात्र/छात्रा के घर के पते पर मनीआर्डर द्वारा या व्यक्तिगत किया जावेगा। मनीआर्डर कमीशन छात्र/ छात्रा की काशनमनी से काटा जावेगा। अत: छात्र/छात्रा अपने घर का पूरा पता स्पष्ट रूप से लिखें। मूल रसीदों के अभाव में काशनमनी के भुगतान में देरी हुई तो उसकी जिम्मेदारी कार्यालय की नहीं होगी। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के एक माह के भीतर यदि छात्र /छात्रा अवधान राशि व्यक्तिगत नहीं लेता /लेती है तो यह राशि मनीआर्डर कमीशन काटकर मनीआर्डर द्वारा छात्र/छात्रा के घर के पते पर भेज दी जावेगी।

(5) कमीशन का भुगतान साधारणतया प्रत्येक माह में दिनांक 10 एवं 25 को ही किया जायेगा / मनीआर्डर द्वारा भेजा जायेगा।

(6) महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के भीतर ही काशनमनी वापस की जा सकेगी। इसके पश्चात नियमानुसार काशनमनी राजसात हो जायेगी।

---

टीप:-

(1) परीक्षा शुल्क एवं अन्य शुल्क जो शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर घोषित किया जायेगा, देय होगा।

(2) महाविद्यालय द्वारा शुल्क जमा करने पर जो रसीदें दी जावेंगी उसे सुरक्षित रखें, आवश्यकता पड़ने पर मांगी जा सकती है।

(3) वापस करने योग्य राशि वापस लेने संबंधित रसीद जमा करना अनिवार्य होगा।

## भाग-3

## छात्रवृत्ति

(1) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र छात्र /छात्रा को छत्तीसगढ माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा विश्वविद्यालय द्वारा उनके घर के पते पर योग्यता सूची के अनुसार भेजे जाते हैं इन आवेदन पत्रों द्वारा संस्था के प्रमुख के माध्यम से संचालक महाविद्यालयीन शिक्षा रायपुर को भेजना चाहिए।

(2) स्नातक शिष्य वृत्तियां, महाविद्यालयीन शिक्षा के आबंटन के आधार पर महाविद्यालय द्वारा स्वीकृत की जाती है।

(3) अन्य शेष सभी छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन पत्र महाविद्यालय के माध्यम से संचालक महाविद्यालय शिक्षा रायपुर को निर्धारित तिथि तक भेजें जाने चाहिए।

(4) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति को छोड़कर शेष सभी छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन पत्र महाविद्यालय से प्राप्त हो सकेंगे।

(5) आवेदन प्रस्तुत करने की तिथियां समय-समय पर घोषित की जावेगी। नोटिस बोर्ड का अवलोकन करें।

(6) एकीकृत छात्रवृत्ति के लिये अधिकतम आय सीमा 25,000 रू. वार्षिक है।

(7) छात्रवृत्तियों की दर शासनाधीन है।

<u>राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्रों की सूची:-</u>

(1) आय घोषणा पत्र, मजिस्ट्रेट नोटरी द्वारा प्रमाणित।

(2) मूल वेतन प्रमाण पत्र, वेतन से की जाने वाली कटौतियाँ अलग-अलग दर्शातें हों।

(3) कृषि आय के संबंध में तहसीलदार का प्रमाण पत्र।

(4) यदि पिता जीवित नहीं है तो मृत्यु प्रमाणा पत्र।

(5) कक्षा में प्रवेश लेने का दिनांक, प्राचार्य द्वारा प्रमाणित।

(6) यदि पेंशनर हो तो सेवानिवृत्ति आदेश, पेन्शन, निर्धारण एवं भुगतान आदेश की प्रतिलिपियाँ।

(7) अन्य आय वर्गीय व्यक्तियों को दो राजपत्रित अधिकारियों का प्रमाण पत्र जिसमें से एक राजस्व अधिकारी के पद से नीचे का न हो प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

## परिचय पत्र-

प्रत्येक नियमित छात्र को महाविद्यालय का परिचय पत्र बनवाना अनिवार्य होगा। सभी छात्रों से अपेक्षा है कि प्रतिदिन परिचय पत्र लेकर महाविद्यालय आयेंगे।

## स्वास्थ्य परीक्षण :

नियत तिथि को पंजीकृत चिकित्सक द्वारा छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा।

## भाग-4

# महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त अन्य विशिष्ट सुविधाएं एवं कार्यक्रम :

## रैगिंग विरोधी प्रकोष्ठ-

महाविद्यालय परिसर में रैगिंग की प्रथा रोकने के लिए विशेष परिनियम-

1. यह विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय परिसर से रैगिंग की कुप्रथा समाप्त करने के लिए स्थापित किया जा रहा है।
2. इस परिनियम में निहित अनुदेश विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय परिवार और संबद्ध छात्रावास परिसर में होने वाली किसी घटना के लिए लागू होंगे। परिसर के बाहर की घटनाओं के लिये यह परिनियम प्रभावशील नहीं होगी।
3. रैगिंग में निम्नलिखित अथवा इनमें से एक व्यवहार अथवा कार्य शामिल होगा-

   /1/ शारीरिक आघात जैसे चोंट पहुंचाना, चाटा मारना, पीटना अथवा कोई दंड देना।

   /2/ मानसिक आघात जैसे मानसिक क्लेश पहुंचाना, छेड़ना, अपमानित करना, डांटना आदि।

   /3/ अश्लील अपमान जैसे असभ्य चुटकुले सुनाना असभ्य व्यवहार करना अथवा ऐसा करने के लिए बाध्य करना।

   /4/ सहपाठियों, साथियों या पूर्व छात्रों अथवा बाहरी असामाजिक तत्वों के द्वारा अनियंत्रित व्यवहार जैसे हुल्लड़ मचाना, चीखना, चिल्लाना आदि।
4. ऐसे किसी घटना की जानकारी प्राप्त होने पर अथवा ऐसी किसी घटना का अवलोकन करने पर महाविद्यालय के प्राचार्य को अथवा विश्वविद्यालय के कुलपति को कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी अभिभावक या कोई नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। ऐसी शिकायत को प्राचार्य महाविद्यालयों और कुलपति विश्वविद्यालयों में गठित प्रॉक्टोरियल बोर्ड को सौपेंगे। इस बोर्ड में चार वरिष्ठ शिक्षक, दो वरिष्ठ विद्यार्थी और दो अभिभावक सदस्य के रूप में प्राचार्य/कुलपति द्वारा मनोनीत किये जायेगें। इस हेतु प्राक्टोरियल बोर्ड की विशेष बैठक आहूत की जायेगी। बैठक की सूचना बोर्ड में मनोनीत वरिष्ठ प्राध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को दी जावेगी वरिष्ठतम प्राध्यापक मुख्य प्रॉक्टर कहलायेगें।
5. प्रॉक्टोरियल बोर्ड प्रकरण की छानबीन करेगा और अपनी अनुशंसा महाविद्यालय के प्राचार्य/ विश्वविद्यालय के कुलपति को देगा।

6. प्रॉक्टोरियल बोर्ड की अनुशंसा पर महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगे। दोषी पाये जाने पर संबंधित छात्र को निम्नानुसार दंड दिया जा सकेगा -

/1/ महाविद्यालय से एक या दो वर्ष के लिये निष्कासन।

/2/ राज्य के किसी भी महाविद्यालय के प्राचार्य/ विश्वविद्यालय में दो वर्ष तक प्रवेश पर रोक।

/3/ दोषी छात्र को दंड के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा। यह अपील महाविद्यालय के प्राचार्य/ विश्वविद्यालय के कुलपति को संबोधित होगा।

/4/ महाविद्यालय के प्राचार्य/ विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रॉक्टोरियल बोर्ड की ऐसी किसी भी घटना को विस्तृत जांच संस्थित करने का पूर्ण अधिकार होगा और इस हेतु उच्च स्तर से स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होगा लेकिन की गई कार्यवाही की सूचना राज्य शासन को देना अनिवार्य होगा।

/5/ कोई भी न्यायालय (उच्च न्यायालय को छोड़कर) इस प्रकार की कार्यवाही में प्राचार्य कुलपति की सहमति के बिना हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा।

/6/ यदि रैगिंग का कृत्य किसी पूर्व छात्र अथवा अछात्र द्वारा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस को सुपुर्द करने का अधिकार प्राचार्य/ विश्वविद्यालय के कुलपति को होगा। इनकी शिकायत पर पुलिस को दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना और एफ. आई. आर. दर्ज करना आवश्यक होगा।

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक 83/98, बिलासपुर — दिनांक 12.11.1998

प्रतिलिपि : 1. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग एवं प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय, गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, दिनांक 25.07.1998 को म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक 1343/98/सी-3/98 दिनांक 25.04.1998 के परिप्रेक्ष्य में निरस्त माना जाये।

**छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिबंध अधिनियम :-**

राज्य के शैक्षिणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उनसे संबंधित मामलों और अनुसांगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम-

**परिभाषा :**

(क) रैगिंग से अभिप्राय किसी छात्र का मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार के उत्प्रेरित बाध्य अभिदर्शित होता हो तो या किन्हीं विधिपूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना आपराधिक दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध या उसे क्षति पहुंचाना या उस पर आपराधिक, धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना।

(ख) शैक्षणिक संस्था से अभिप्राय है राज्य की कोई भी शासकीय अथवा अशासकीय शैक्षणिक संस्था।

**रैगिंग का प्रतिषेध :**

1. किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षत: या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।
2. यदि कोई व्यक्ति धारा-3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो या तो कारावास से जो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से जो 5 हजार रूपये से अधिक नहीं होगा या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
3. इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
4. (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध की विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

   (2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपराधों के अन्वेषण, जांच एवं विचारण में अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) के उपबंध लागू होंगे।

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2002

क्रमांक सी/455/21-अ (प्रारूपण)/2002- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम, 2001 (क्र. 27 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार के एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
टी.सी. यदु अतिरिक्त सचिव

**अनुशासन व्यवस्था एवं प्रॉक्टोरियल बोर्ड-**

अनुशासन व्यवस्था और अनुशासनहीनता के मामलों की जांच एवं निर्णय के लिए प्रॉक्टोरियल बोर्ड का गठन किया गया है।

प्राप्तांक ............ पूर्णांक................ प्रतिशत ............ अधिभार........... योग.............. चयन क्रमांक ............

# नवीन शासकीय महाविद्यालय बरमकेला, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

प्रपत्र : 1

यहां पर पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो लगाइये। (नाम एवं दिनांक सहित)

## प्रवेश आवेदन पत्र 20

क्र............ 611 संकाय - कला / वाणिज्य/ विज्ञान

1. कक्षा, जिसमें प्रवेश चाहिए ------------------------------------
2. लिये जाने वाले विषय 1.------------------------------------
   2.------------------3.------------------
   4.------------------5.------------------
3. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी मे) ------------------------------------
   (अंग्रेजी मे) ------------------------------------
4. पिता का नाम ------------------------------------
5. माता का नाम ------------------------------------
6. पिता का व्यवसाय व वार्षिक आय ------------------------------------
7. पिता के जीवित नहीं होने पर पालक का नाम ------------------------------------
8. आवेदक की श्रेणी (अ) सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./विकलांग/छ.ग. शासन तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की संतान/अल्पसंख्यक/भू.पू.सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
   (ब) जाति ..........................................................................
9. जन्म तिथि (अंकों मे) ------------------------------------
   (शब्दों मे) ------------------------------------
10. रक्त समूह ......................
11. गत वर्ष की परीक्षाफल प्राप्तांक--------------पूर्णांक--------------प्रतिशत........
12. आवेदक का पूर्ण पता (स्थायी) ------------------------------------
    ------------------------------------
    ----------------मो. ----------------फोन :--------------
    (स्थानीय) ------------------------------------
    ------------------------------------
    ----------------मो. ----------------फोन :--------------
13. शैक्षणिक प्रगति का विवरण

| कक्षा | | उत्तीर्ण वर्ष | प्राप्तांक/ पूर्णांक | विषय | शिक्षण संस्था का नाम | बोर्ड विश्वविद्यालय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 वीं. | | | | | | |
| 12 वीं. | | | | | | |
| बी.ए./ | भाग (एक) | | | | | |
| बी.कॉम./ | भाग (दो) | | | | | |
| बी.एस.सी. | भाग (तीन) | | | | | |
| एम.ए. | पूर्व | | | | | |

14. अन्य विशिष्ट उपलब्धियां (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

(1) एन.सी.सी./एन.एस.एस./खेलकूद- अन्य ------------------------------------------------

आवश्यक प्रमाण पत्रों की सूची (सत्यापित छायाप्रति ही संलग्न करें)

**नोट-** आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ दो पोस्ट कार्ड, दो फोटो, पहचान पत्र आवश्यक प्रविष्टियां कर संलग्न करें।

10 वीं एवं समस्त उत्तीर्ण कक्षाओं की अंकसूची एवं स्नातकोत्तर पूर्व कक्षाओं के लिए भाग एक, दो व तीन वर्ष की अंकसूची अनिवार्य रूप से संलग्न करें। 2. चरित्र प्रमाण- पत्र. 3. मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति. 4. आवेदक की श्रेणी प्रमाण-पत्र (आरक्षण हेतु). 5. खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस. 6.प्रवर्जन प्रमाण-पत्र, सी.बी.एस.ई/ छत्तीसगढ़ राज्य को छोडकर अन्य राज्यों से उत्तीर्ण छात्रों के लिए आवश्यक। 7. रैगिंग में संलिप्त न होने संबंधी शपथ-पत्र मूल प्रति।

**नोट - चयन होने पर प्रवेश शुल्क जमा करते समय दो फोटो एवं टी.सी./सी.सी. की मूल प्रति जमा करना अनिवार्य है।**

## आवेदक द्वारा शपथ

1. महाविद्यालय विवरणिका में उल्लेखित समस्त नियमों, आचरणों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा/करूंगी।
2. आवेदन पत्र/संलग्न प्रमाण पत्रों पर दी गयी समस्त जानकारियां पूर्णत: सत्य है। प्रतिज्ञा के उल्लंघन की मेरा प्रवेश निरस्त किया जा कर अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

संलग्न प्रमाण पत्रों की संख्या :

आवेदन-पत्र जमा करने की तारीख : आवेदक के पिता/माता/अभिभावक के हस्ताक्षर आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर

................................ नाम --------------------- नाम ---------------

नोट: अपूर्ण आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

## प्रवेश समिति के संयोजक/प्राध्यापक की अनुशंसा

1. आवेदक की कक्षा.......................... विषय 1. ................................ 2...............................
   3.................................. 4................................ में प्रवेश की अनुशंसा की जाती है।
2. निम्न प्रतिबंधों पर प्रवेश दिया जाये : 1.............................. 2..................................
3. आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाये।

संयोजक

## आदेश

1. आवेदक को कक्षा ...................................... में अस्थायी प्रवेश दिया जाता है।
2. आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है।

प्राचार्य

## कार्यालयीन प्रयोग हेतु

आवेदक का नाम प्रवेश सूची नं. ................ दिनांक...................... में क्रमांक.................... पर है। तदनुसार प्रवेश शुल्क ...............रूपये 1. रसीद क्र....................... 2.रसीद क्र. ..................... रू.......................... 3. रसीद क्र................ रूपये........................... दिनांक ..................... द्वारा प्राप्त हुए।

गणक

## आवेदक द्वारा शपथ-पत्र

1- महाविद्यालय विवरणिका में उल्लेखित भाग-1 के सामान्य नियम (पृष्ठ क्रमांक 01) भाग-4 को रैगिंग विरोधी नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा / करूंगी ।

2- महाविद्यालय में बिना परिचय-पत्र के प्रवेश नहीं करूंगा / करूंगी एवं समय-सीमा में परिचय पत्र का रिन्यूवल करूंगा / करूंगी ।

3- मैं (नाम एवं पूर्ण पता, मोबाईल / फोन नं.) ................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

शपथपूर्वक कथन करता / करती हूं कि मैं किसी शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत नहीं हूं । कार्यरत पाये जाने एवं बिन्दु क्रमांक 1 व 2 के पालन नहीं करने पर मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा ।

अभिभावक के हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

# नवीन शासकीय महाविद्यालय बरमकेला, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

## छात्र-छात्राओं की सामान्य जानकारी

पासपोर्ट साईज फोटो चिपकावें (स्वहस्ताक्षरित)

1) छात्र/छात्रा का नाम (हिन्दी में) : ........................................................

(अंग्रेजी में) : ........................................................

2) पिता का नाम : ........................................................

3) माता का नाम : ........................................................

4) छात्र/छात्रा की जन्म तिथि : ........................ स्थान.............. जिला.............. राज्य...........

5) वर्ग.......................... जाति ........................... धर्म ..................................

6) पिता के जीवित नहीं होने पर पालक का नाम ........................................................

7) पिता का व्यवसाय : ........................................................

8) स्थायी पता : ........................................................

: ........................................................

9) वर्तमान पता : ........................................................

: ........................................................

10) मोबाईल नं. - (छात्र/छात्रा का) : ..............................पिता/पालक का मो. नं. ......................

11) ई मेल आई. डी. (यदि हो) : .............................. 11) रक्त समूह ......................

12) शैक्षणिक योग्यता :- (विगत कक्षा का विवरण)

| | वर्ष (उत्तीर्ण) | प्राप्तांक/पूर्णांक | शिक्षण संस्था | बोर्ड /विश्व विद्यालय |
|---|---|---|---|---|
| हायर सेकेण्डरी | | | | |
| स्नातक - I | | | | |
| II | | | | |
| III | | | | |
| स्नातकोत्तर- I | | | | |
| II | | | | |
| III | | | | |

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर

## ANNEXURE I
## AFFIDAVIT BY THE STUDENT

I (Name of Student) ____________________________________________

S/o D/o Mr./Mrs./Ms. (Name of Parent/ Guardian) ____________________________________, having been admitted to (Name of College): ____________________________________, have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Education Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.

3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively of passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4) I hereby solemnly aver and undertake that

a) I will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.

6) I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote ragging: and further affirm that, in case the declaration in found to be untrue. I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declare this____________day of _________month of _________year.

Signature of deponent

Name :..............................................

Class:..............................................

## VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at _____________on this the_________of_________year.

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the ___________of _________' _________after reading the contents of this affidavit.

**OATH COMMISSIONER**

## ANNEXURE II
## AFFIDAVIT BY PARENT/GUARDIAN

I, Mr./Mrs./Ms. (Name of Parent/Guardian) ____________________

Father/Mother/Guardian of : (Name of Student) ____________________ Class ________,

having been admitted to ____________________ have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Education Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations"), carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.

3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case he/she is found guilty of or abetting ragging, actively of passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4) I hereby solemnly aver and undertake that

a) My ward will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, My ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force.

6) I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote ragging; and further affirm that, in case the declaration in found to be untrue, the admission of my ward is liable to be cancelled.

Declare this ____________ day of __________ month of __________ year.

____________________

Signature of deponent

Name :

Address:

Telephone/Mob.No. :

## VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at ______________ on this the __________ of __________ year.

____________________

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the ____________ of ____________, __________ after reading the contents of this affidavit.

**OATH COMMISSIONER**

नवीन शासकीय महाविद्यालय बरमकेला, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची

श्री डी.पी. तिर्की (सहा. प्राध्यापक) (प्रभारी)

श्री मुकेश पुरी (लिपिक)